लैंगिक संवेदीकरण

द्वारा :– (गौरव चन्द्र पन्त)

बाल विकास परियोजना अधिकारी

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,

उत्तराखण्ड

Gender संवेदीकरण :– सम्मिलित विषय

- जेंडर और सेक्स
- लैंगिक समानता पर संवैधानिक/कानूनी प्रावधान
- सरकारी योजनाएँ
- प्रमुख जेंडर मुद्दे
- जेंडर संवेदीकरण की आवश्यकता
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

www.hiren.info

सैक्स और जेन्डर

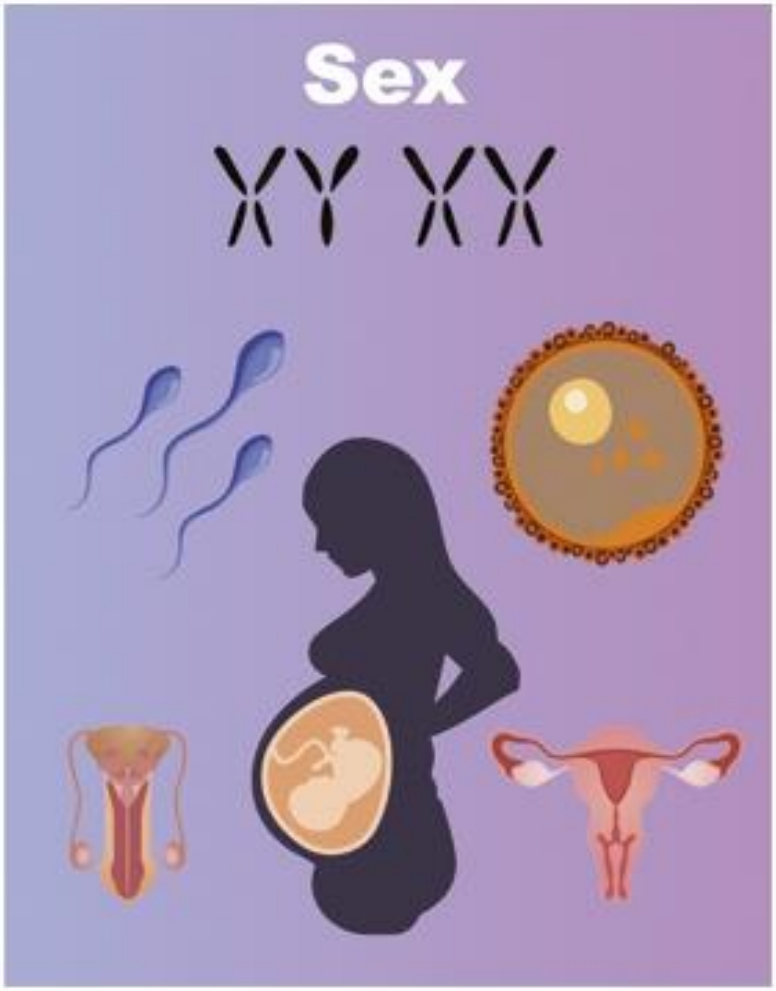

‘Sex’

➢ पुरुष और महिला की विशेषताएं –

• कोई भी मनुष्य पुरुष या महिला के रूप में पैदा होता है। बहुत कम अपवादों को छोड़कर वे अपने जैविक ढांचे के संदर्भ में जीवन भर नर या मादा बने रहते हैं।

• जन्म के समय ही पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर की पहचान की जाती है। उदाहरण के लिए: केवल महिलाएं ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं; केवल पुरुषों में ही शुक्राणु हो सकते हैं

Gender

- जेंडर सभी सामाजिक संबंधों में स्त्री और पुरुष की विशेषताओं, स्थिति और भूमिकाओं को इंगित करता है।.

Gender and Sex

- "SEX" उन जैविक और शारीरिक विशेषताओं को संदर्भित करता है जो पुरुषों और महिलाओं को परिभाषित करती हैं। " "GENDER" सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों और विशेषताओं को संदर्भित करता है जिसे एक समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है।

इसे दूसरे तरीके से रखने के लिए: -

- पुरुष और महिला SEX श्रेणियां हैं, जबकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग GENDER श्रेणियां हैं।

अभ्यास

- नीचे कथनों की एक श्रृंखला दी गई है। प्रत्येक कथन के बाद, प्रतिभागियों को यह तय करना होगा कि कथन में विशेषता/व्यवहार "GENDER" है या "SEX" प्रत्येक प्रतिभागी को दूसरों के साथ इस पर चर्चा किए बिना स्वयं निर्णय लेना हैं। इसमें कोई सही या गलत प्रतिक्रिया नहीं है और प्रतिभागियों को स्वतंत्र रूप से वह चुनना हैं जो उन्हें लगता है कि उनके अनुसार सही है। कथन निम्नानुसार हैं :-

कथन निम्नानुसार हैं :-

	GENDER	SEX
• पुरुषों कोमल नहीं होते हैं और वे महिलाओं की तुलना में कम संवेदनशील होते हैं।	✓	✗
• उत्तराखंड में ज्यादातर ड्राइवर पुरुष हैं।	✓	✗
• महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं परन्तु पुरुष नहीं।	✗	✓
• बच्चों की देखभाल करना महिलाओं की जिम्मेदारी है।	✓	✗
• केवल महिलाएं ही बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं।	✗	✓
• पुरुषों की मूंछें होती हैं।	✗	✓
• महिलाएं भारी बोझ नहीं उठा सकती हैं।	✓	✗
• महिलाएं रात में घर से बाहर काम करने से डरती हैं।	✓	✗
• पुरुषों की आवाज युवावस्था में भारी हो जाती है महिलाओं की नहीं।	✗	✓
• महिलाएं भावुक होती हैं और पुरुष तर्कसंगत।	✓	✗
• ज्यादातर महिलाओं के बाल लंबे होते हैं और पुरुषों के बाल छोटे होते हैं।	✓	✗
• ज्यादातर वैज्ञानिक पुरुष हैं।	✓	✗
• खाना बनाना महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आता है।	✓	✗

"GENDER" और "SEX" में अंतर :-

SEX	GENDER
• जैविक रूप से निर्धारित	• समाज द्वारा निर्मित
• सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौम	• संस्कृतियों के भीतर और संस्कृतियों के बीच बहुआयामी अंतर
• अपरिवर्तनीय	• गतिशील, समय के साथ परिवर्तन
• जन्मजात (जन्म से)	• अधिग्रहीत

"GENDER" भूमिकाएं और रूढ़िवादिता (STEREOTYPE)

- "GENDER" की भूमिका (ROLE) व्यवहारों (BEHAVIOUR), दृष्टिकोण (ATTITUDE), मूल्य (VALUE), विश्वासों (BELEIFS) आदि से निर्मित होती है जो एक विशेष सामाजिक समूह पुरुषों और महिलाओं के लिए उनके जैविक लिंग के आधार पर उपयुक्त मानता है। "GENDER" भूमिकाएं और अपेक्षाएं सीखी (LERANED) जाती हैं।
- "GENDER" रूढ़िवादिता (STEREOTYPE) एक व्यक्तिपरक धारणा (SUBJECTIVE PERCEPTION) से सम्बंधित हैं जो ऐसे समाज कीओर इंगित करता है। जिसमें महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमतर है। इन "GENDER" रूढ़ियों का परिणाम लैंगिक असमानता हैं, जो इन लैंगिक असमानताओं को लगातार समाज में स्थापित करता रहता है।

GENDER ROLES

- पुरुषों का शरीर अधिक शक्तिशाली होता है और वे शिकार, युद्ध और बाहरी कार्यों के लिए उपुक्त हैं।
- महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं जो गर्भावस्था, स्तनपान और बच्चे की देखभाल के अनुकूल हों।

जो हम रोज देखते हैं...

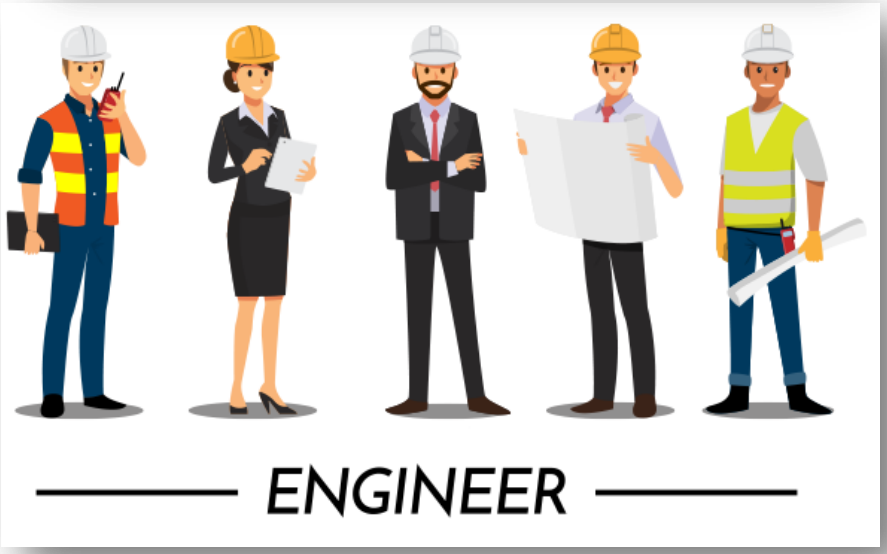

जो हम रोज देखते हैं...

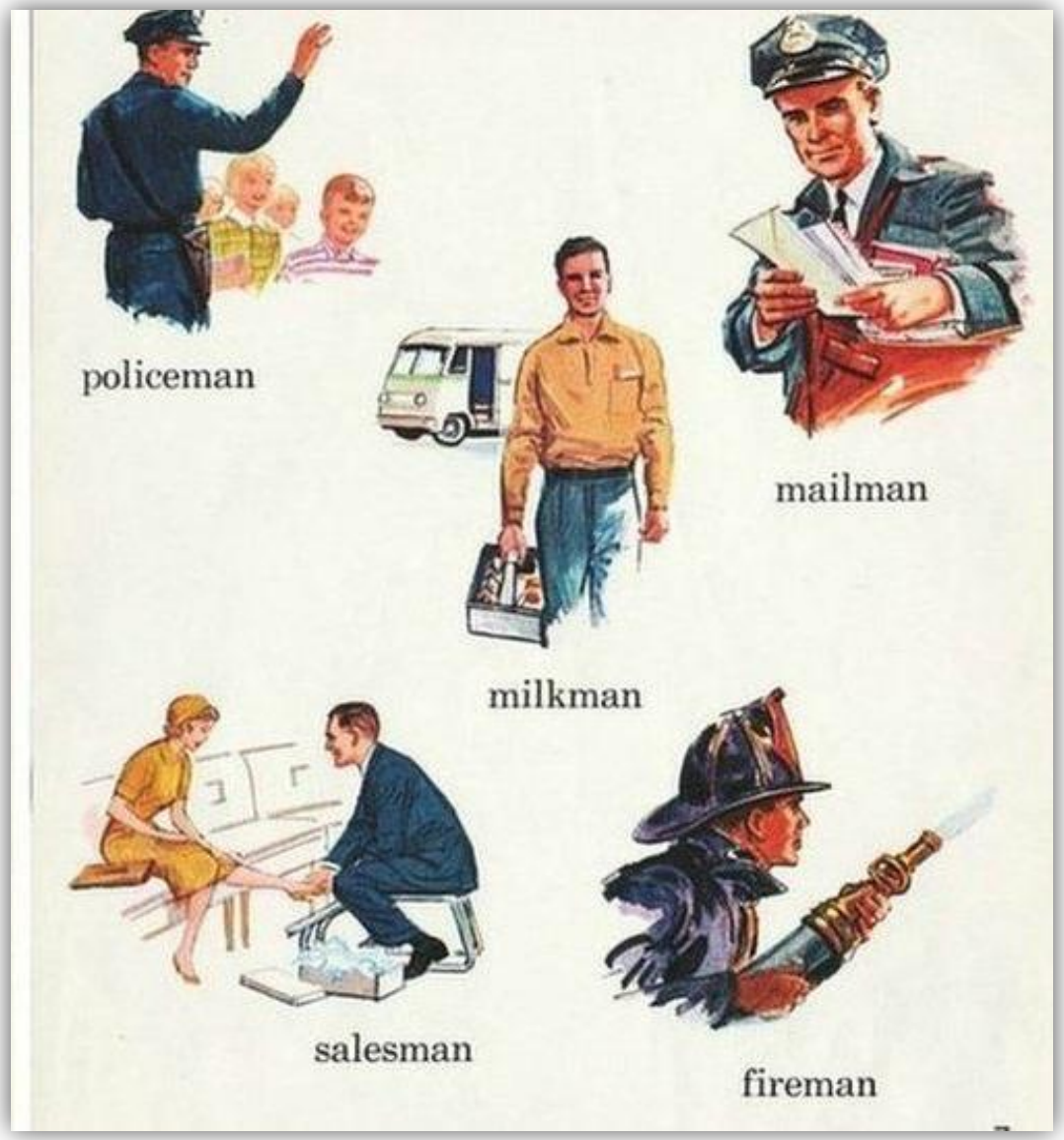

जो हम रोज देखते हैं...

जो हम रोज देखते हैं...

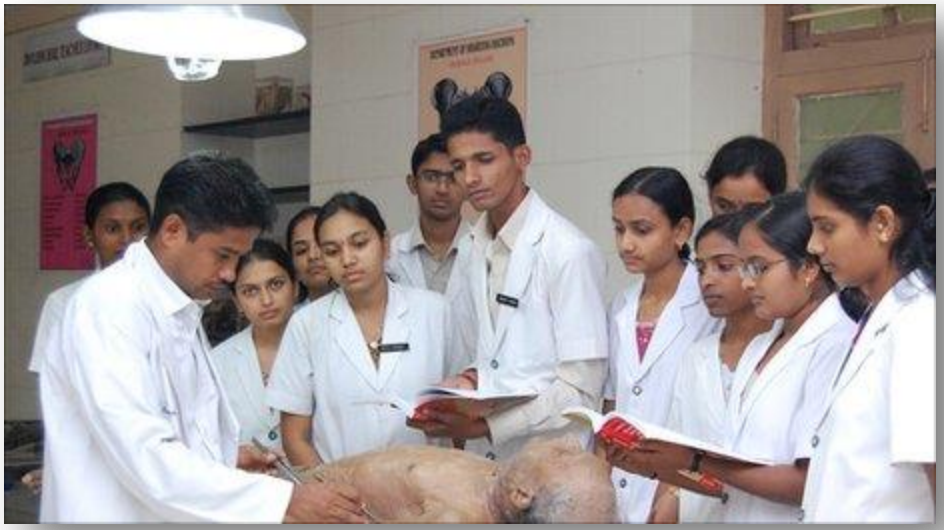

त्वरित प्रश्नोत्तरी

- ये चित्र किस से सम्बंधित हैं ? "SEX" या "GENDER"
  - ❖ Gender

- ये पुरुषों और महिलाओं के बारे में क्या दर्शाते हैं?
  - ❖ उनका काम/वे क्या करते हैं

जेंडर भूमिकायें (ROLES)

उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो पुरुष और महिलाएं हमारे दैनिक जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं, यह किसी समय और परिस्थितियों में बदल भी सकता है।

- उत्पादक भूमिकाएँ **(PRODUCTIVE ROLES)** :- यह आजीविका से सम्बंधित है जो पुरुष और महिलाएँ कृषि कार्य, उत्पाद या सेवा के द्वारा करते हैं।
- प्रजनन भूमिकाएँ: **(REPRODUCTIVE ROLES)** :- बच्चे के जन्म और अन्य संबंधित गतिविधियों से सम्बंधित है, जिसमें अधिकांश समय परिवार के सदस्यों और समुदाय की देखभाल करने, ईंधन और पानी खोजने, भोजन तैयार करने, बच्चे की देखभाल करने में व्यतीत होता है।

जो हम अक्सर सुनते हैं...

महिलाओं को शिक्षक, नर्सरी शिक्षक होना चाहिए

केवल पुरुष ही उत्कृष्ट सर्जन हो सकते हैं

उपरोक्त कथनो का क्या मतलब है?

- परिवारों में:
- लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकतीं/लड़कियों की शिक्षा में लड़को की तरह निवेश नहीं करना चाहिए।
- लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए- वे बहुत छोटे और बेकार काम हैं।

- कार्यस्थलों में:
- पुरुष श्रमिक भारी और खतरनाक काम कर सकते हैं।
- उन महिला श्रमिकों को भर्ती नहीं कर सकते जिनके छोटे बच्चे हैं/या उन महिलाओं को कम वेतन देते हैं।

कौन कहता है लड़के और लड़कियां बराबर हैं?

- एक हालिया सर्वेक्षण ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जब युवा स्कूली लड़कों से पूछा गया कि खाने में भोजन कम होने की स्थिति में किसे भोजन कम खाना चाहिए, तो अधिकांश ने माँ को पहले चुनाव के रूप में और बहन को दूसरे चुनाव के रूप में बताया।
- तो कौन इसका उत्तरदायी है जो इस सोच को मानता है कि भोजन का त्याग करने वाला पहला व्यक्ति मां होना चाहिए और उसके बाद बहन?
- कई घरों में पुरुष सदस्यों को पहले भोजन क्यों परोसा जाता है? और महिला सदस्यों को अंत में बचा हुआ भोजन करना पड़ता है।

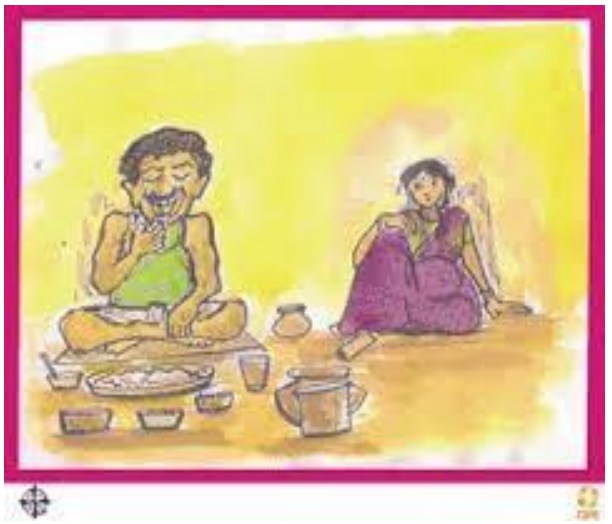

GENDER आधारित विचारधारा के कारण शोषण

- पुरुष लैंगिक पक्षपात:- हमारे समाज में पुत्रियों की जगह पुत्रों को वरीयता दी जाती है।
- कन्या भ्रूण हत्या:- कन्या बच्चों की हत्या
- पोषाहार अभाव:- बाल शोषण का एक रूप जिसमें पूरा भोजन न देना शामिल है, यह सीखने, शारीरिक विकास, मानसिक विकास को प्रभावित करता है।
- पुरुष सत्तावादी समाज :- घर से लेकर कार्य स्थल तक पुरुषो का दबदबा व महिलाओ हेतु कम अवसर/असमानता।

भारत में लैंगिक समानता पर मौजूदा प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान

- प्रस्तावना
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 39
- अनुच्छेद 42

कानूनी प्रावधान

❖ विशेष कानूनों के तहत पहचाने गए अपराध

- समान पारिश्रमिक अधिनियम, **1976**
- आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, **2013**
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, **2013**
- महिला आरक्षण विधेयक
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956**
- मातृत्व लाभ अधिनियम, **1961**
- विशेष विवाह अधिनियम, **1954**
- दहेज निषेध अधिनियम, **1961**

2. भारतीय दंड संहिता के तहत पहचाने गए अपराध

- बलात्कार **(** धारा **375);**
- अपहरण और अपहरण **(**धारा **363-373) ;**
- छेड़छाड़ **(** धारा **354) ;**
- यौन उत्पीड़न **(** धारा **509) ;**
- महिला तस्करी **(21** वर्ष की आयु तक**);**
- यातना **(**धारा **498**ए **);**
- दहेज हत्या **(** धारा **304**बी**)** ।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद **14** , अनुच्छेद **15,** अनुच्छेद **15(3),** अनुच्छेद **16** , अनुच्छेद **21** ,अनुच्छेद **39** और अनुच्छेद **42** लैंगिक समानता और समानता के मामले में विशिष्ट महत्व के हैं।

- अनुच्छेद **14** - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान स्थिति या समानता की बात करता है। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति की समान स्थिति है और राज्य इससे इनकार नहीं कर सकता है।
- अनुच्छेद **15** - अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है।
- अनुच्छेद **16** - अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होगा।
- अनुच्छेद **21** - जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है अपितु इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- अनुच्छेद **39** - संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और महिलाओं को पर्याप्त आजीविका का समान अधिकार हो, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन हो ।
- अनुच्छेद **42** - राज्य संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए और मातृत्व राहत के लिए मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करेगा।

कानूनी प्रावधान

❖ समान पारिश्रमिक अधिनियम, **1976**

इस अधिनियम के तहत , नियोक्ता को समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन या पारिश्रमिक देना चाहिए। कोई भी नियोक्ता भर्ती, प्रशिक्षण या स्थानांतरण के दौरान एक ही काम के लिए या किए गए काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकता है।

❖ आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, **2013**

वर्मा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर 3 फरवरी, 2013 को आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 लागू हुआ । इस अधिनियम में तेजाब से हमला, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक, पीछा करना जैसे कुछ नए अपराध शामिल किए गए हैं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया है ।

❖ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, **2013 (PoSH Act)**

यह मुद्दा पहली बार 1992 में विशाखा मामले में सामने आया था, जहां कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बात की गई थी और इसके लिए कानून पारित किया गया था। महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर परेशान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत गारंटीकृत महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

❖ महिला आरक्षण विधेयक

महिला आरक्षण विधेयक या संविधान का 108वां संशोधन विधेयक एक लंबित विधेयक है जिसमें भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की योजना है। राज्य सभा या संसद के उच्च सदन ने अभी तक इस विधेयक पर मतदान नहीं किया है।

❖ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, **1956**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत , 2005 में भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए एक निश्चित संशोधन किया गया था। अधिनियम के तहत, महिलाओं को अधिनियम पर हस्ताक्षर करने से पहले या बाद में अर्जित सभी संपत्ति का स्वामित्व दिया जाता है, जिससे उनकी "सीमित मालिक" स्थिति समाप्त हो जाती है।

क्रमशः.....

❖ मातृत्व लाभ अधिनियम, **1961**

2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में एक संशोधन किया गया था । अधिनियम के तहत, दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों के लिए मूल बारह (12) सप्ताह से छब्बीस (26) सप्ताह तक सवेतन मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया था। संशोधन ने तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली कामकाजी माताओं को बच्चे को प्राप्त करने की तारीख से 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लेने का प्रावधान किया और साथ ही माताओं को 26 सप्ताह पूरा करने के बाद घर से काम करने की अनुमति दी।

❖ विशेष विवाह अधिनियम, **1954**

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 अलग अलग धर्म या विश्वास के बावजूद विवाह के एक विशेष रूप के लिए प्रदान करता है, जिसमें दूसरा पक्ष विश्वास करता है। इस अधिनियम ने 1872 के पुराने अधिनियम को बदल दिया।

❖ दहेज निषेध अधिनियम, **1961**

यह अधिनियम विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में दहेज लेने व देने दोनों को अपराध घोषित करता है। दहेज मांगने या देने पर 05 साल तक का कारावास तक की कैद और 15000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

महत्त्वपूर्ण वाद :-

1. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य **(1997) -**

इस मामले में , अदालत ने 'द विशाखा गाइडलाइंस' निर्धारित की, जिसे बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH ACT) में बदल दिया गया । यह मामला एक महिला भंवरी देवी से संबंधित है, जिसका सामूहिक बलात्कार किया गया था। एक बाल विवाह को रोकने के प्रयास और राजस्थान में पुरुष अहंकार के खिलाफ लड़ने के लिए पांच पुरुषों ने उससे बदला लिया, उनके साथ गैंगरेप भी किया गया। कुछ गैर सरकारी संस्थाओ द्वारा "विशाखा" नाम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गयी जिसमे अदालत ने माना कि यौन उत्पीड़न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और कार्यस्थल पर महिलाओ के यौन उत्पीड़न से बचाव और सुरक्षा हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गए जिन्हे विशाखा दिशा निर्देश के रूप में जाना जाता है।

2. एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा **(1981) -**

इस मामले में , अनुच्छेद 14 का समावेशी पठन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को लिंग के आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इनफ्लाइट सेवाओं के लिए, कर्मचारियों की युवावस्था, दिखावट और आकर्षक दिखने पर जोर दिया गया था । एयर इंडिया नामक एक विमानन कंपनी ने नियमन किया कि एयर होस्टेस को 35 वर्ष की आयु के बाद, गर्भवती होने पर, विवाह होने पर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये शर्तें अपमानजनक और आपत्तिजनक थीं और इसलिए इन्हें अदालत में चुनौती दी गई और बाद में इन्हें रद्द कर दिया गया।

क्रमशः.....

3. लक्ष्मी बनाम भारत संघ **(2015) -**

लक्ष्मी एक एसिड अटैक सर्वाइवर थी जिनके द्वारा एसिड अटैक सर्वाइवर्स के हितो हेतु जनहित याचिका दायर की गयी परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालत ने सरकारों को पूरे देश में एसिड की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इस फैसले ने ऐसे अपराधों में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया।

4. विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा **(2020) -**

इस मामले में , सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेटियों को उनके जन्म से हिंदू अविभाजित परिवार में समान अधिकार प्राप्त होंगे और उन्हें विरासत से बाहर नहीं किया जा सकता है, भले ही वे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में 2005 के संशोधन से पहले पैदा हुई हों।

वैश्विक जेंडर अंतराल रिपोर्ट 2023

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कुल 146 देशों में से 127 वीं है (68.4% लैंगिक अंतराल स्कोर)। वर्ष 2022 में भारत का स्थान 135 वां था (08 स्थानों की बढ़त)। पड़ोसी देश पाकिस्तान 142 वी, बांग्लादेश 59 वी, चीन 107 वे, नेपाल 116 वे, श्रीलंका 115 वे और भूटान 103 वे स्थान पर है। आइसलैंड इस रैंकिंग इंडेक्स में लगातार 14 वे वर्ष प्रथम स्थान पर है। (91.2% लैंगिंक अंतराल स्कोर) इस लैंगिक अंतर सूचकांक में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, श्रम बल की भागीदारी और राजनीति हैं। भारत की रैंकिंग, इतनी कम होने से पता चलता है कि अभी भी पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जारी हैं।

सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक जीवन में लैंगिक अंतर को कम करने हेतु सरकारी योजनाएं-

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ - यह कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा, उत्तरजीविता और शिक्षा सुनिश्चित करने सम्बन्धी योजना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - प्रथम बार गर्भवती महिला को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता और दूसरा बच्चा लड़की पैदा होने पर 6000 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

नंदा गौरा योजना - परिवार में जन्मी दो कन्याओ को (किसी भी क्रम में) जन्म होने पर 11000 रुपए एवं 12 पास करने पर 51000 रुपए की धनराशि सीधे खाते में दी जाती है। (उत्तराखंड राज्य)

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना - कन्या शिशु पैदा होने पर माँ एवं शिशु की देखभाल एवं पोषण हेतु अधिकतम दो कन्या शिशुओं के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। (उत्तराखंड राज्य)

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पोषण मिशन, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, महिला पोषण योजना, उज्ज्वला योजना, स्वाधार योजना, अनुपूरक पोषाहार, आंगनवाड़ी केंद्र, आशा कार्यकर्ता आदि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

क्रमशः.....

महिला शक्ति केंद्र - इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास एवं रोज़गार के अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।

महिला पुलिस वालंटियर्स - इसमें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला पुलिस वालंटियर्स की भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते ती हैं तथा संकट में महिलाओं की सहायता करती हैं।

राष्ट्रीय महिला कोष - यह एक शीर्ष सूक्ष्म-वित्त संगठन है जो गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिये रियायती शर्तों पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है।

सुकन्या समृद्धि योजना - इस योजना के तहत जन्म से 10 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

महिला उद्यमिता - महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट (महिला उद्यमियों/SHG/NGO को समर्थन देने हेतु ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म), उद्यमिता तथा कौशल विकास कार्यक्रम (ESSDP) जैसे कार्यक्रम शुरू किये हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में खोला गया है।

राजनीतिक आरक्षण: सरकार ने महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में 33% सीटें आरक्षित की हैं।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण - यह कार्यक्रम महिलाओं को शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिये सशक्त बनाने की दृष्टि से आयोजित किया जाता है।

ऑनर किलिंग

- समाज में पाई जाने वाली एक प्रथा जिसमें महिलाओं को उनके ही परिवार के सदस्यों के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्होंने परिवार का अपमान किया है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा - एक वैश्विक महामारी

- महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा, GENDER आधारित विचारधारा का परिणाम हैं जो कि पिछले काफी समय से लगातार एक समस्या बनी हुई है। हर तीन में से कम से कम एक महिला को उसके जीवनकाल में पीटा गया है, यौन संबंध के लिए मजबूर किया गया है या अन्यथा दुर्व्यवहार किया गया है।
- हर साल रिश्तेदारों, दोस्तों और अजनबियों, नियोक्ताओं और सहकर्मियों, सैनिकों और सशस्त्र समूहों के सदस्यों द्वारा लाखों महिलाओं का बलात्कार किया जाता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि 70% पीड़ित महिलाओ की हत्या उनके पुरुष साथी द्वारा ही कर दी जाती है।

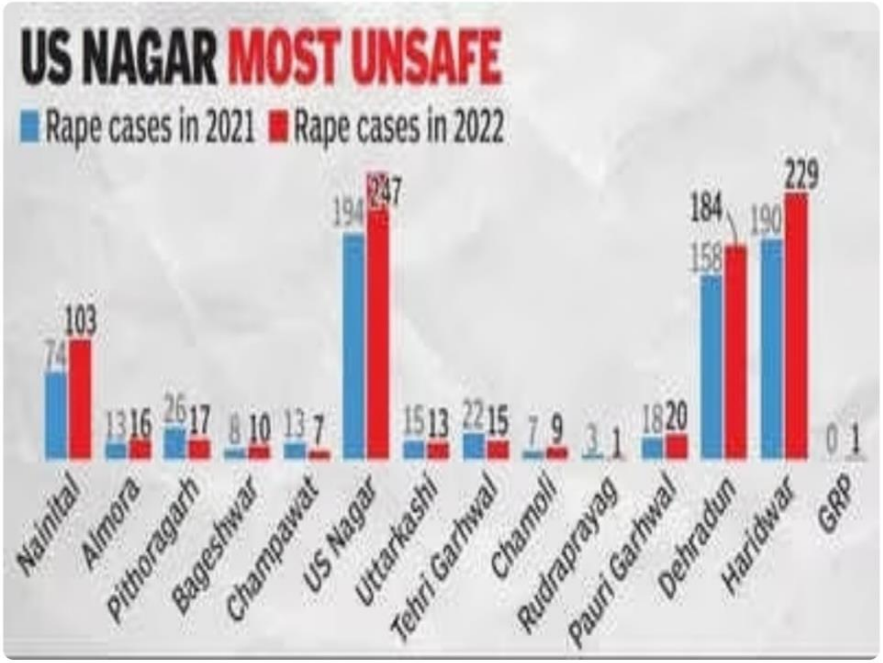

बलात्कार

- बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) (घटना 872)
- वर्ष 2022 में उत्तराखंड में कुल 1321 गंभीर प्रकृति के अपराध रिपोर्ट किए गए जिसमे से अधिकतम केस (872) बलात्कार से सम्बंधित है। वर्ष 2022 में बलात्कार के केसो की संख्या 2021 की तुलना में कुल 17.67% बड़ी है (वर्ष 2021 में बलात्कार के कुल 741 केस रिपोर्ट किये गए थे)।

[सूचना स्रोत - TIMES OF INDIA]

दहेज हत्या (धारा 302, 304 बी आईपीसी)

- दहेज न देने पर पत्नी के ससुराल वालों द्वारा पत्नी की हत्या कर देना और दहेज़ के दबाब में महिला द्वारा आत्महत्या कर

- भारत में प्रतिदिन दहेज़ के कारण लगभग 20 महिलाओ की हत्या कर दी जाती है। 2017 से 2021 के मध्य कुल 35493 दहे हत्या के मामले सामने आये है। उत्तराखंड राज्य में इन 05 वर्षो में दहेज हत्या के कुल 317 मामले सामने आये हैं।

अत्याचार (पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) (धारा 498 ए आईपीसी)

- वर्ष 2021 :- भारत में घटना 137956; (दर 20.5%)
- उत्तराखंड में कुल 719 केस रिपोर्ट किये गए। जिसकी दर 9.03 % रही।

- दर्ज घटनाओ की संख्या महिला पीड़ितों की संख्या पर आधारित है।
- दर का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पर किया गया। हैं।

[सूचना स्रोत :- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिक्स वॉल्यूम-1, क्राइम इन इंडिया 2021]

छेड़छाड़ (धारा 354 आईपीसी)

❖ भारत (दर्ज घटनाएं - 90675; दर 13.4%)

- महिलाएं (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना 86740; दर 12.08%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना 3935; दर 0.6%

❖ उत्तराखंड (दर्ज घटनाएं - 655; दर 11.7%)

- महिला (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना 606; दर 10.9%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना 49; दर 0.9%

➢दर्ज घटनाओ की संख्या महिला पीड़ितों की संख्या पर आधारित है।

➢दर का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पर किया गया। हैं।

सूचना स्रोत :- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिक्स वॉल्यूम-1, क्राइम इन इंडिया 2021]

यौन उत्पीड़न (धारा 509 आईपीसी)

❖ भारत (दर्ज घटनाएं - 7786; दर 1.2%)

- महिलाएं (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना - 7797; दर 1.2%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना - 89

❖ उत्तराखंड (दर्ज घटनाएं - 13; दर 0.2%)

- महिला (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना 13; दर 0.2%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना 00; दर 00

➢दर्ज घटनाओ की संख्या महिला पीड़ितों की संख्या पर आधारित है।

➢दर का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पर किया गया। हैं।

सूचना स्रोत :- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिक्स वॉल्यूम-1, क्राइम इन इंडिया 2021]

अपहरण और फुसलाकर या धमकाकर (धारा 366 आईपीसी)

❖ शादी के लिए मजबूर करना, (महिला का अपहरण और फुसलाकर या धमकाकर भगा ले जाना।)

भारत (दर्ज घटनाएं - 28222; दर 4.2%)

- महिलाएं (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना - 15875; दर 2.4%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना - 12347; दर 1.9%

उत्तराखंड (दर्ज घटनाएं - 200; दर 3.6%)

- महिला (18 वर्ष और उससे अधिक) घटना 195; दर 3.5%
- लड़कियां (18 वर्ष से कम) घटना 05; दर 0.1%

➢दर्ज घटनाओ की संख्या महिला पीड़ितों की संख्या पर आधारित है।

➢दर का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पर किया गया। हैं।

➢ सूचना स्रोत :- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिक्स वॉल्यूम-1, क्राइम इन इंडिया 2021]

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956

- भारत (दर्ज घटनाएं - 1819; दर 0.2%)
- उत्तराखंड (दर्ज घटनाएं - 17; दर 0.3%)

- दर्ज घटनाओ की संख्या महिला पीड़ितों की संख्या पर आधारित है।
- दर का आंकलन प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर पर किया गया। हैं।
- सूचना स्रोत :- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिक्स वॉल्यूम-1, क्राइम इन इंडिया 2021]

Gender Issues

Gender Issues

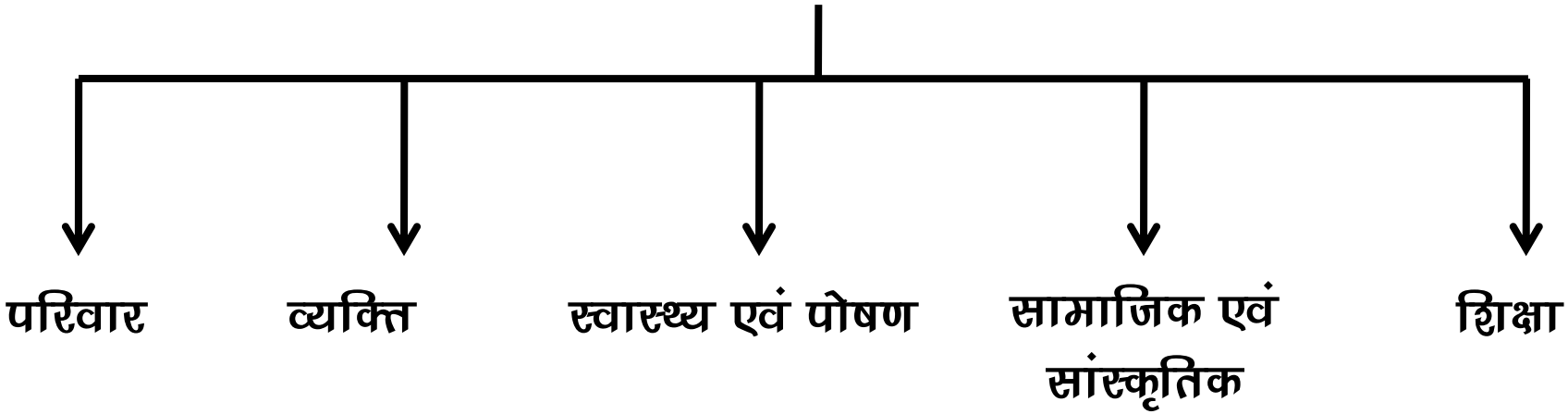

GENDER मुद्दे क्या हैं?

- एक समस्या जो आपके पुरुष या महिला होने से उत्पन्न होती है
- एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन की प्राप्ति में बाधा
- सभी की चिंता

परिवार

- घरेलू हिंसा
- कई सारे कार्यभार/बोझ
- पति द्वारा परिवार का परित्याग
- वित्तीय दुर्व्यवहार
- घरेलू कार्य केवल महिलाओं की जिम्मेदारी।

व्यक्ति

- जागरूकता का अभाव
- बदलाव के लिए निष्क्रियता/प्रतिरोध
- प्रजनन अधिकारों पर जागरूकता का अभाव
- स्वयं को कमतर आकना

स्वास्थ्य और पोषण

- परिवार नियोजन/प्रजनन स्वास्थ्य पर जानकारी का अभाव
- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में पुरुषों की भागीदारी का निम्न स्तर
- महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव
- महिलाओं को संक्रामक रोगों का खतरा
- सामाजिक सेवाओं की कमी
- महिलाओं का निम्न पोषण स्तर
- जन्म पर नियंत्रण की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है।

सामाजिक-सांस्कृतिक

- महिलाओं को वस्तु समझना/वेश्यावृत्ति।
- महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट माना जाता है।
- नैतिकता के दोयम दर्जे।
- मीडिया और शिक्षा प्रणाली में रूढ़िवादिता।
- बलात्कार।
- यौन उत्पीड़न/दुर्व्यवहार।
- घरेलू हिंसा।
- सांस्कृतिक पराधीनता।
- महिलाओं हेतु शिक्षा के कम अवसर।
- छात्रों और शिक्षकों के लिए GAD (GENDER AND DEVELOPMENT STRATEGY FOR ENSURING GENDER EQUALITY) जागरूकता।
- महिलाओं को कमजोर लिंग के रूप में देखा गया।
- महिला का निम्नतर सामाजिक दर्जा।

शिक्षा

- महिलाओं में साक्षरता का निम्न स्तर।
- पुरुष छात्रों की तुलना में लड़कियों की संख्या काफी कम है।
- यहां तक कि जो लड़कियां स्कूल में दाखिला लेती हैं, उन पर अन्य दबावों/कार्यों के कारण अनियमित उपस्थिति, उनकी उच्च शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देना।
- लड़कियों के बार-बार साल दोहराने, जल्दी छोड़ने और मुख्य विषयों में असफल होने की संभावना अधिक होती है।
- बाल श्रम में वृद्धि।

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

शिक्षा।

❖साक्षरता।

-लैंगिक अंतराल:

•राज्यों में अंतर (केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता है; राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम है)।

•ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले लड़कों के लिए माता-पिता द्वारा वरीयता।

•लड़कियों के बीच उच्च ड्रॉपआउट दर।

	Female	*Male*
1971	*22%*	*46%*
1991	*39%*	*64%*
2001	*48%*	*70%*
2011	*65.46*	*82.14*

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

❖ शिक्षा

- उच्च शिक्षा में लैंगिक अंतराल।
- कुल महिला आबादी के लगभग 01 प्रतिशत के पास कॉलेज की शिक्षा है।
- कॉलेज/विश्वविद्यालय स्तर पर महिला छात्रों का एक तिहाई हिस्सा।
- इंजीनियरिंग और व्यवसाय में महिला छात्रों का अनुपात बहुत कम है।

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

❖रोजगार:-

- भारत में महिलाओं के बीच रोजगार की समग्र तस्वीर प्राप्त करना मुश्किल।
- अधिकांश महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं।
- 2011 में कुल श्रमिकों (कार्य भागीदारी दर) में महिलाओं की संख्या केवल 25.6 प्रतिशत थी।
- पुरुषों की तुलना में महिला श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।
- श्रमिक महिला बेरोजगारी दर पुरुष बेरोजगारी दर के समान है।

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

महिला रोजगार में बाधाएँ :-

- सांस्कृतिक प्रतिबंध।

• पदानुक्रमित समाज (जाति व्यवस्था)।

• पर्दा प्रथा।

- कार्यस्थल पर भेदभाव।

• उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है जहां पुरुष प्रतिस्पर्धा अधिक है उन क्षेत्रों में कम प्रचलित

है जहां प्रतिस्पर्धा कम है।

- रोजगार के अवसरों की कमी।

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

आर्थिक सशक्तिकरण

- संपत्ति अधिकार
  - पितृसत्तात्मक समाज
- आर्थिक निर्णय लेना
  - घर में
  - व्यवसायों में

आधुनिक समय में भारतीय महिलाएं

- राजनीतिक सशक्तिकरण

  - लोकतांत्रिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व
  - महिलाओं के लिए आरक्षण नीति:
  - 1990 के संवैधानिक संशोधन
  - वर्तमान लोकसभा में 543 में से 63, या 11.6% महिलाएं हैं जो कि आज़ादी के बाद से अबतक की सर्वाधिक संख्या हैं।
  - राज्य सभा में 224 में से 25 महिला सांसद हैं।

कानूनी/व्यवस्थापक/सरकार

- महिलाओं से सम्बंधित कानूनों को प्रभावित करने वाले कानूनों पर अनभिज्ञता।
- बलात्कार, महिला हिंसा, व्यभिचार से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
- न्यायपालिका की धीमी प्रक्रिया।
- पुलिस की असंवेदनशीलता।
- फोकल व्यक्तियों की कमी।
- जेंडर प्लानिंग की कमी।
- GAD (GENDER AND DEVELOPMENT) मुद्दों का पर्याप्त प्रचार प्रसार न होना।

GENDER और कानूनी प्रणाली

महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर पुलिस कर्मियों की प्रतिक्रिया

- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया अपर्याप्त और अधूरी है।
- विभाग में प्रचलित मर्दानगी की सोच पुलिस अधिकारियों/कार्मिको को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में रूढ़िबद्ध (STEREOTYPE) धारणा बनाता है।

महिलाओं के प्रति उदासीन रवैया/व्यवहार

- महिलाओं सहित आम जनता मुख्य रूप से थाने और निचले स्तर पर पुलिसकर्मियों के संपर्क में आती है।
- आम तौर पर, महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य समस्याएं पुलिसकर्मियों द्वारा उदासीन और अशिष्ट व्यवहार, उनकी मदद न करने वाला रवैया और उनकी शिकायतों पर अपराध दर्ज करने में अनिच्छा और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए तत्परता की कमी है।
- उनमें से ज्यादातर कोई कार्रवाई करने के लिए रिश्वत की मांग भी करते हैं। पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं से छेड़खानी की भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिलती हैं।

यौन हिंसा/उत्पीड़न के बारे में कुछ रूढ़ियाँ (STEREOTYPES)

- बलात्कार पीड़िता के कृत्यों का ही परिणाम होता है। महिलाएं भड़काने वाले पहनावे और व्यवहार से या रात के अंधेरे में बाहर और एकांत स्थानों पर बलात्कार/यौन हिंसा की घटना को बढ़ावा देती हैं।
- महिलाएं अवचेतन रूप से बलात्कार की इच्छा रखती हैं और जब वे पकड़ी जाती हैं तो ही रोते हुए बलात्कार होने की शिकायत करती हैं।
- महिला विरोध करे तो रेप नहीं हो सकता।
- नारी का स्थान घर में है। यदि वे बाहर जाती हैं, तो उन्हें अपने साथ होने वाली घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और छेड़खानी मजेदार है और महिलाएं इसका आनंद लेती हैं।
- पुरुष की कामुकता बेकाबू होती है। महिलाओं को इसे उत्तेजित नहीं करना चाहिए।

मानक पुलिस प्रतिक्रिया

- प्रारंभिक शिकायत पर विश्वास नहीं किया जाता है और कार्रवाई केवल इस विचार/निर्णय के बाद की जाती है कि क्या महिला उचित पुलिस प्रतिक्रिया के योग्य है।
- पीड़िता शिकायत करने से कतराती है।
- डराना-धमकाना, कठोर पूछताछ, आक्रामक और यौनिक पूछताछ।
- मेडिकल जांच में देरी होती है और इसे अप्रिय और धमकी भरे माहौल में आयोजित किया जाता है।
- पीड़िता को उसके वैध अधिकारों और उसे उपलब्ध सहायता सेवाओं के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं दी जाती है।

घरेलू हिंसा को प्रोत्साहित करने वाली रूढ़ियाँ (STEREOTYPES)

- परिवार एक निजी स्थान है जहाँ पुरुषों के कुछ वैध अधिकार होते हैं।
- पति को अपनी पत्नी को अनुशासित करने का वैवाहिक अधिकार है।
- महिलाएं तर्कहीन, चिड़चिड़ी और पुरुषों को भड़काने वाली होती हैं।
- केवल गरीब/अशिक्षित/शराबी पुरुष ही अपनी पत्नियों के प्रति हिंसक होते हैं।

मानक पुलिस प्रतिक्रिया

- पीड़ितों को दीवानी अदालत में उपचार की सलाह देना और सहायता करना।
- शांतिदूत और मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
- पुलिस के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए लैंगिक संवेदनशील तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता है।
- कई सामाजिक कारकों के कारण, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपराधों से अधिक डरती हैं और अपराध का डर उन महिलाओं में कहीं अधिक होता है, जो खुद पीड़ित रही हैं।
- इसके अलावा, कई सामाजिक आर्थिक कारकों के कारण, पीड़ित महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में अलग रखा जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुलिस को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित सभी मामलों में लैंगिक संवेदनशील तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है।

भ्रामक विज्ञापन

- एक विज्ञापन में, घर की महिला को परिवार के अन्य सभी सदस्यों के कामो को पूरा करते हुए घर का सारा काम करते हुए दिखाया गया है। पीठ दर्द के कारण उन्हें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है। परिवार दर्द निवारक की एक ट्यूब देकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर लेता है और उसका पति ट्यूब लगाने की पेशकश करता है।
- थोड़ी राहत के बाद वह अपने परिवार के सदस्यों के आदेशों और कार्यो को पूरा करने के लिए वापस आ जाती है।
- संदेश एकदम स्पष्ट है - महिला के विनम्र, दूसरे के अधीन कार्य के स्वभाव का। उसे आवशकता पूरी करने वाली एक वस्तु के रूप में दर्शाया गया है।

महिलाओं का घटिया चित्रण

- भारतीय मीडिया समाज में महिलाओं को समान रूप से चित्रित करने के विषय को कम प्राथमिकता देता है।
- भारतीय मीडिया अपनी महिलाओं को कुशल गृहिणी और एक खरीददार के रूप में दिखाने में ही अधिक रूचि रखता है, जो ज्यादातर अपने पति के पैसे की कीमत पर नवीनतम पोशाक, जूते, सामान, सौंदर्य प्रसाधन खरीदती है।
- मीडिया वास्तव में उन्हें आधुनिक, मुक्त महिलाओं के बजाय उपभोक्ताओं के रूप में चित्रित करता है।

वस्तु के रूप में महिलाएं।

- यौन वस्तुओं के रूप में महिलाओं का चित्रण विभिन्न आइटम नंबरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो एक फिल्म के हिट होने के लिए लगभग अनिवार्य हो गया है।
- बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं को अक्सर चीखने, चिल्लाने और रोने वाले पात्रों के रूप में चित्रित किया जाता है। फिल्मों में मुखर महिलाओं को अक्सर बुरे के रूप में टैग किया जाता है जबकि पुरुषों को चरित्र के सभी रंगों में नायक माना जाता है।
- फिल्मों में महिलाओं के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार की स्वीकृति के लिए भारतीय दर्शकों को भी आंशिक रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए।

महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार

- देखा गया है कि साक्षात्कारों में भी महिलाओं के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। साक्षात्कार देने वाले पुरुषों को अक्सर उनके काम के बारे में विस्तार से बताया जाता है और उनकी वैवाहिक स्थिति या उनके पहनावे की समझ अप्रासंगिक रहती है।
- दूसरी ओर उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं अप्रासंगिक और अरुचिकर प्रश्नों के अधीन होती हैं - उनके रूप-रंग, उनके निजी जीवन और सुंदर साड़ियों के प्रति उनके प्रेम, अविवाहित रहने या अन्यथा उनके निर्णय जैसी सामान्य बातों की छानबीन की जाती है।
- मीडिया के अनुसार, एक सफल महिला किसी न किसी रूप में नारीवादी होती है। जब एक बार फूलन देवी का इंटरव्यू हुआ तो सबसे पहले उन्हें अपने पति को खाना परोसते हुए दिखाया गया। पुरुष चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर सबसे ज्यादा राय देते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर उनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती थी। महिलाएं, जिनका भविष्य वे तय कर रही थीं, मूक दर्शक बनकर बैठी रहीं।

GENDER संवेदीकरण

GENDER संवेदीकरण क्या है?

- लैंगिक संवेदनशीलता का तात्पर्य लैंगिक समानता की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाकर व्यवहार में परिवर्तन करना है।
- लैंगिक संवेदनशीलता व्यवहार को बदलने और उन विचारों में समानुभूति पैदा करने के बारे में है जो हम अपने और दूसरे लिंग के बारे में रखते हैं।
- यह लोगों को उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विश्वासों की जांच करने और उन वास्तविकताओं पर सवाल उठाने में मदद करता है जो उन्हें लगता है कि वे पहले से जानते हैं।
- लैंगिक संवेदीकरण लोगो को उनकी यह मानसिकता बदलने और जागरूक करने के बारे में हैं कि "पुरुष बाहर कमाने क लिए और महिला गृहणी के रूप में हैं।"

GENDER संवेदीकरण क्यों?

- जेंडर संवेदनशीलता लिंग की परवाह किए बिना व्यक्ति के प्रति सम्मान पैदा करने में मदद करती है।
- लैंगिक संवेदनशीलता महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़ा करने के बारे में नहीं है। इसके विपरीत, लिंग-संवेदनशील शिक्षा से सभी को लाभ होता है।
- इससे उन्हें यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि लिंग के मामले में कौन सी धारणाएँ वैध हैं और कौन सी रूढ़ियाँ (STEREOTYPE) हैं।
- GENDER सम्बन्धी जागरूकता केवल बौद्धिक प्रयास नहीं है बल्कि संवेदनशीलता और खुली मानसिकता की भी आवश्यकता है। यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जीवन के विभिन्न आयामों को खोलता है।

कार्यस्थल पर GENDER संवेदनशीलता प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है?

- वर्त्तमान में सभी कार्यस्थल बहुत विविधता लिए हुए हैं और हर दिन यह विविधता बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों को महिलाओं सहित विभिन्न लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं, चिंताओं और विशेषताओं को समझने, संवेदनशील होने और उनके अनुकूल होने में सक्षम होने की आवश्यकता है।
- जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण से कर्मचारियों को अपनी टीम के सदस्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से अच्छे पारस्परिक संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी।
- यह एक सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण कामकाजी माहौल विकसित करने में मदद करता है जहां लिंगों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास होता है, जो बिना यौन छेड़छाड़ और माहौल को बिगाड़ने वाली मानसिकता के साथ विकसित होता जाता है

जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण का उद्देश्य

- जेंडर संवेदनशीलता प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को अधिक रचनात्मक व्यवहार के लिए महिलाओं की जरूरतों और चिंताओं के बारे में शिक्षित करना है जो आपके और संगठन में बाकी सभी के लिए फायदेमंद होगा।
- यह आपके व्यवहार में आत्मावलोकन प्रदान करके एक व्यक्ति की सहायता करता है और सुधारात्मक भावनात्मक और व्यवहारिक क्रियाओं को विकसित करने में आपकी सहायता करता है।

जेंडर संवेदीकरण का महत्व

- लैंगिक संवेदनशीलता लिंग की परवाह किए बिना व्यक्ति के प्रति सम्मान पैदा करने में मदद करती है।
- यह लैंगिक अंतर को कम करने, शिक्षा, रोजगार और काम और परिवार के अन्य क्षेत्रों में समानता को बढ़ावा देने के लिए मौजूद कई चुनौतियों का भी संकेत देती है। आधुनिक परिवारों में पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से सक्रिय हैं।
- महिलाओं को मानव संसाधन के रूप में दुनिया की आधी मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता दी जानी चाहिए।
- नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर समान रोजगार के अवसर के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और प्रबंधन को लिंग के आधार पर लोगों में अंतर नहीं करना चाहिए।
- प्रबंधन को यौन उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को रोकने या कम करने के लिए लिंग संवेदनशीलता के लिए कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए और कर्मचारियों को अधिक मुखर होने और ना कहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

यौन उत्पीड़न क्या है?

- यौन उत्पीड़न तब होता है जब एक महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छुक होने के बाद भी उस पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अवांछनीय यौन व्यवहार को सहन करने या स्वीकार करने के लिए दबाव डाला जाता है जो कि शक्तिशाली स्थिति में है और यदि वह ऐसे यौन व्यवहार को सहन करने से मना करती है तो वह उसके हितों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है।
- यदि कोई बॉस या सहकर्मी किसी महिला कर्मचारी के सामने बार-बार यौन प्रस्ताव रखता है, बावजूद इसके कि वह बार-बार यह संकेत देती है कि उसे उसकी बातें आपत्तिजनक लगती हैं, तो उस पर यौन उत्पीड़न का उचित आरोप लगाया जा सकता है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

- नौकरी की सुरक्षा, आचरण नियम और सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपाय सरकारी कर्मचारियों के लिए बने कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकने में काफी मददगार साबित हुए हैं।

यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उठाए गए कदम

- सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण
- आचरण नियमों में नए प्रावधान
- विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला
- 1997 में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश-सीसीएस (आचरण) नियमों में नए प्रावधानों का आधार।

सीसीएस नियमों के नियम 3 (सी)।

- नियम 3(सी) कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक से संबंधित है
- सरकारी कर्मचारी से जुड़ता है
  - कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल न हों,
  - कार्यस्थल के प्रभारी ऐसे कार्य पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न - सीसीएस में प्रावधान (आचरण नियम)

- यौन उत्पीड़न में इस तरह के अवांछित यौन व्यवहार (चाहे सीधे या निहितार्थ से) को शामिल किया गया है।
- शारीरिक संपर्क।
- यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध।
- यौन टिप्पणियाँ।
- अश्लील साहित्य दिखाना।
- यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।

नियोक्ता द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- यौन उत्पीड़न के कृत्यों को रोकना, समाधान, निपटान या अभियोजन के लिए प्रावधान करना नियोक्ता का कर्तव्य है।
- उचित मामलों में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।
- जहां ऐसा आचरण कदाचार की श्रेणी में आता है, उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

पुरुषों में थोड़ी पशुता भी होती है, जिसे वह इरादा करने पर भी हटा नहीं सकता। वह पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है... जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुँचेगा, वह भी स्त्री हो जायेगा।

- प्रेमचंद @kavitaaayein

कविताएँ और साहित्य

धन्यवाद